न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :—88A / 2024

प्रार्थीः—

1. गोपाराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी समदड़ी
   तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. शिवमंगल नागल पुत्र लूणकरण नागल
2. स्मिता नांगल पत्नी शिवमंगल नागल
   जाति सुथार निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री जेठूलाल कुमावत
अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::— दिनांक :—15.07.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोखण्डी तहसील समदडी में प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 205 / 137 रकबा 23.09 बीघा भूमि आई हुई है। खसरा संख्या 205 / 137 रकबा 23.09 बीघा में से प्रार्थी द्वारा 01 बीघा भूमि, विप्रार्थी संख्या 1 को तथा 01.10 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 2 को वर्ष 2011 में जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दी थी। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को रोड पर 132 फीट व विप्रार्थी संख्या 02 को विप्रार्थी संख्या 1 के पीछे वाला हिस्सा 132 फीट तक दी थी। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को 132 फीट, लम्बाई 330 फीट की भूमि का बेचान किया गया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का सडक पर करीब 200 फीट से ज्यादा तरमीम कर दी है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त भूमि का गैर मुमकिन आवासीय संपरिवर्तन करवा दिया गया है जिसके नया खसरा संख्या 245 / 137 रकबा 0.0890, 271 / 137 रकबा 0.0728 व 246 / 137 रकबा 0.2428 हैक्टेयर है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 व 02 का अपने—अपने हिस्से अनुसार रकबे पर कब्जा काश्त है लेकिन राजस्व रेकर्ड नक्शा में सड़क पर बेचान किये हिस्से से ज्यादा दुगुनी ... विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खाते में बिना प्रार्थी की सहमति हस्ताक्षर लिये तरमीम कर दी गयी है, जिससे उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड नक्शा में इन्द्राज गलत दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:14:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी द्वारा मौजा मौखण्डी तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 205/137 रकबा 23.09 बीघा में से 2.10 बीघा 132 गुणा 300 फीट की भूमि का बेचान विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को किया गया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का सड़क पर करीब 200 फीट से ज्यादा तरमीम कर दी है जिसे दुरूस्त किया जावे।

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार मौजा मौखण्डी के खसरा संख्या 205/137 रकबा 3.3913 हैक्टेयर जो प्रार्थी के नाम पर दर्ज है एवं खसरा संख्या 245/137 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 271/137 रकबा 0.0728 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 1 व खसरा सख्या 246/137 रकबा 0.02428 हैक्टयर विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त तीनो खसरो की लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन तरमीम गलत दर्ज हुई है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा अनुसार रेकर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु उचित बताया है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने भी अपने जवाब में उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखण्डी तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 245/137 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 271/137 रकबा 0.0728 हैक्टेयर व खसरा सख्या 246/137 रकबा 0.02428 हैक्टयर भूमि की नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग [illegible]

आदेश आज दिनांक 16.07.2024 [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:14:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सिवाना (बाड़मेर) *

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

आंशिक नक्शा स्थिति
मौजा - मोकलसर
तहसील - सिवाना
(बालोतरा)

प्रस्तावित नक्शा A

प्रकरण सं: 88A/2024

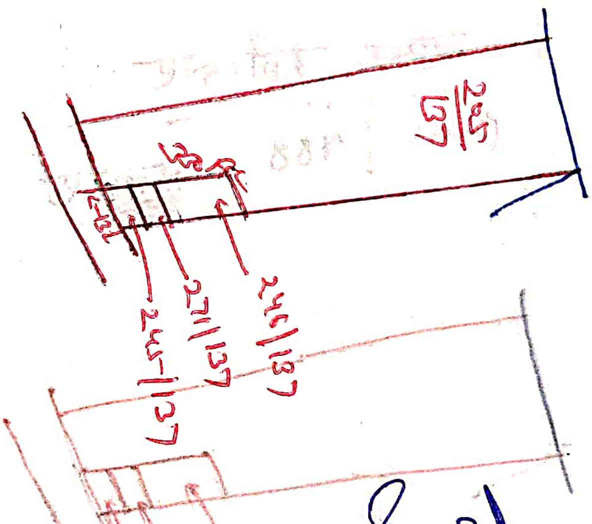

EX-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

19/6/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:14:03 IST
Reason: SelfAttested